बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय- स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम **(Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation)** के गठन के संबंध में ।

अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं एवं उपकरणों का न्यूनतम दर पर क्रय स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को प्रभावशाली बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । सम्प्रति यह कार्य बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है । यह देखते हुए कि दवाओं एवं उपकरणों का क्रय एक विशिष्ट कार्य है, यह आवश्यक है कि ये कार्य ऐसी एजेन्सी से कराया जाए जिसे इसमें निपुणता प्राप्त हो ।

2- राज्य में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचना में कई गुना वृद्धि होनी है । राज्य के सभी प्रखंडों (अनुमंडलीय तथा जिला मुख्यालय को छोड़कर) में अवस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शय्या के अस्पताल में उत्क्रमित किया जाना है । राज्य में लगभग 1500 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन के निर्माण की आवश्यकता है । लगभग दस हजार से भी अधिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवन का निर्माण भी किया जाना है । यदि इन कार्यो को सन् 2012 तक पूरा नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत इस निमित्त मिलनेवाली राशि से वंचित हो जायेगा ।

3- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के Implementation Frame work में भी राज्यों में क्रय आदि की क्षमता की कमी को इंगित किया गया है और तमिलनाडु चिकित्सा आपूर्ति निगम (Tamilnadu Medical Supplies Corporation) के अनुरूप राज्यों को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी/निगम बनाने की सलाह दी गयी है ।

4- उपर्युक्त के आलोक में भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-617 के अन्तर्गत बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं **आधारभूत संरचना निगम (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation)** का गठन किया जाना है । यह निगम गुणवत्तायुक्त दवा, उपकरण, सेवाओं एवं निर्माण कार्यो की न्यूनतम दर पर व्यवस्था सुनिश्चित करायेगा । इस निगम को बिहार वित्त नियमावली के नियम 129 के अन्तर्गत दवा, उपकरण, सेवाएँ एवं निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति के लिए "राज्य क्रय संगठन" नामित किया जाता है ।

5- इस निगम के गठन के लिए सरकार द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन और आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन अनुमोदित किया गया है तथा निगम के गठन तथ संचालन की कार्यवाही तदनुरूप की जाएगी ।

6 (क) इस निगम में निदेशकों की संख्या कम से कम पांच तथा अधिक से अधिक चौदह होगी । निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित में से की जाएगी ।

1-	विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2-	बिहार सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी	प्रबंध निदेशक
3-	प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार	सदस्य
4-	प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5-	कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	सदस्य
6-	स्वतंत्र निदेशक(चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ)	सदस्य
7-	स्वतंत्र निदेशक(अभियंत्रण क्षेत्र के विशेषज्ञ)	सदस्य
8-	महाप्रबंधक(प्रोक्योरमेंट (ड्रग्स एवं एक्वीपमेंट्स)	सदस्य
9-	महाप्रबंधक, वर्क्स	सदस्य
10-	महाप्रबंधक, वित्त	सदस्य ।

(ख) प्रबंध निदेशक के पद पर राज्य सरकार भा.प्र.से. के सुपरटाईम वेतनमान में उपयुक्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगी या खुले बाजार से वैसे व्यक्ति का चयन किया जायेगा जिसे संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो तथा जो चार्टेड एकाउंटेंट हों अथवा लब्धप्रतिष्ठित संस्थान से एम.बी.ए. की डिग्री प्राप्त हों ।

(ग) इस निगम में अभियंत्रण कोषांग सहित प्रारम्भ में सत्रह पद होंगे जिनपर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे तथा योग्यता के आधार पर अथवा खुले बाजार से नियुक्ति की जायेगी ।

(घ) आवश्यकतानुसार इस निगम के बोर्ड द्वारा अन्य कर्मियों के पदों को चिन्हित किया जायेगा एवं इन पदों का सृजन तथा चयन प्रकिया सरकार की पूर्वानुमति से निर्धारित की जायेगी । निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(च) निगम की वित्तीय सूचना प्रकट करने में पारदर्शिता बनाए रखने तथा आन्तरिक नियंत्रण और अंकेक्षण के लिए अंकेक्षण बोर्ड

466(12)
05-10

का गठन किया जायेगा । अंकेक्षण बोर्ड कम्पनी के वित्तीय विवरण प्रकटीकरण का निरीक्षण भी करेगा ।

(छ) निगम को क्रय और अनुबंध के प्रबंधन के लिए सेवा शुल्क अनुमान्य होगा जो 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । जहां तक निर्माण कार्य का प्रश्न है यह निगम निर्माण कार्य हेतु निविदा प्राप्त कर उपयुक्त एजेन्सी का चयन करेगा । निर्माण कार्य हेतु निगम को अधिकतम सात प्रतिशत सेवा शुल्क अनुमान्य होगा ।

(ज) निगम को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने हेतु औषधि तथा उपकरण क्रय के लिए किसी वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि के 90 प्रतिशत पर उपरोक्त कंडिका 'छ' के अनुसार सेवा शुल्क की राशि देय होगा ।

(झ) तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम की भांति दवाओं एवं उपकरणों के क्रय हेतु बजट की राशि निगम को स्थानान्तरित कर दी जायेगी ताकि उक्त संस्थान द्वारा बिना विलम्ब के आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान आदि की कारवाई की जा सके ।

(ट) राज्य सरकार द्वारा निगम को प्रारंभिक कैपिटल के रूप में दस करोड़ की राशि हिस्सा पूंजी के रूप में दी जायेगी । तत्पश्चात निगम को सारी आवश्यकतायें अपने द्वारा सम्पादित किये गये कार्यो से अर्जित कमीशन या सेवा शुल्क से ही पूरी करनी होगी ।

7- इस निगम के कार्य संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग प्रशासी विभाग होगा ।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपर्युक्त संकल्प की पांच सौ प्रतियां बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाए ।

18.5.10

(राम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना

Annexure - 34/14

सं0सं0–12 / प0क0–09–28 / 2016–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय– बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामित तीन महाप्रबंधकों की व्यवस्था की प्रतिस्थापना, दो मुख्य महाप्रबंधकों, यथा– मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एवं मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) से करने की स्वीकृति।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–466(12), दिनांक–18.05.2010 द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–617 के अंतर्गत बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0 (बी.एम.एस.आई.सी.एल.) का गठन किया गया है तथा निगम को बिहार वित्त नियमावली के नियम–129 के अंतर्गत दवा, उपकरण, सेवाएँ एवं निर्माण कार्यो की अधिप्राप्ति के लिये 'राज्य क्रय संगठन' नामित किया गया है। निगम का कार्य गुणवत्तायुक्त दवा, उपकरण, सेवाओं एवं निर्माण कार्यो की न्यूनतम दर पर व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

2– निगम के गठन तथा संचालन की कार्यवाही निगम के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुरूप की जानी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा–74 तथा विभागीय संकल्प संख्या–466(12), दिनांक–18.05.2010 की धारा–6(क) के अनुसार निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या कम–से–कम 05 (पाँच) तथा अधिक–से–अधिक 14 (चौदह) हो सकती है, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित में से किये जाने प्रावधान है–

(1) विकास आयुक्त, बिहार	– अध्यक्ष
(2) बिहार सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी	– प्रबंध निदेशक
(3) प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, बिहार	– सदस्य
(4) प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार	– सदस्य
(5) कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार	– सदस्य
(6) स्वतंत्र निदेशक (चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ)	– सदस्य
(7) स्वतंत्र निदेशक (अभियंत्रण क्षेत्र के विशेषज्ञ)	– सदस्य
(8) महाप्रबंधक (प्रोक्योरमेंट, ड्रग्स एवं एक्वीपमेंट्स)	– सदस्य
(9) महाप्रबंधक (वर्क्स)	– सदस्य
(10) महाप्रबंधक (वित्त)	– सदस्य

3– उक्त व्यवस्था के अनुसार निगम के निदेशक मंडल में तीन महाप्रबंधकों की नियुक्ति सदस्य के रूप में किये जाने का प्रावधान है। कालान्तर में, निगम में, राज्य सरकार द्वारा मुख्य महाप्रबंधक का दो पद, जो महाप्रबंधक से वरीय होते हैं, का भी सृजन किया गया। अतः महाप्रबंधकों के स्थान पर निगम के मुख्य महाप्रबंधकों को निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया जाना अपेक्षित हो गया।

(120)

क्रमशः

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में निगम के निदेशक मंडल की दिनांक–16.08.2013 को सम्पन्न 8वीं बैठक के एजेंडा सं0–3/8 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामित तीन महाप्रबंधकों की व्यवस्था की प्रतिस्थापना, नव सृजित दो मुख्य महाप्रबंधकों यथा– मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एवं मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्त्ति श्रृंखला) से करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

5– निगम के निदेशक मंडल के उक्त निर्णय के फलस्वरूप निगम के निदेशक मंडल के वर्त्तमान स्वरूप एवं प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् निगम के निदेशक मंडल के स्वरूप की तुलनात्मक स्थिति निम्नरूपेण होगी–

निगम के निदेशक मंडल का वर्तमान स्वरूप	संशोधन के पश्चात् निदेशक मंडल का स्वरूप
(1) विकास आयुक्त, बिहार – अध्यक्ष	(1) विकास आयुक्त, बिहार – अध्यक्ष
(2) बिहार सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी– प्रबंध निदेशक	(2) बिहार सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी– प्रबंध निदशक
(3) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार– सदस्य	(3) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार – सदस्य
(4) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार– सदस्य	(4) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार – सदस्य
(5) कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार – सदस्य	(5) कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार – सदस्य
(6) स्वतंत्र निदेशक (चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ) – सदस्य	(6) स्वतंत्र निदेशक (चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ) – सदस्य
(7) स्वतंत्र निदेशक (अभियंत्रण क्षेत्र के विशेषज्ञ) – सदस्य	(7) स्वतंत्र निदेशक (अभियंत्रण क्षेत्र के विशेषज्ञ) – सदस्य
(8) महाप्रबंधक (प्रोक्योरमेंट, ड्रग्स एवं एक्वीपमेंट्स)– सदस्य	(8) मुख्य महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स) – सदस्य
(9) महाप्रबंधक (वर्क्स) – सदस्य	(9) मुख्य महाप्रबंधक (सप्लाई चेन) – सदस्य
(10) महाप्रबंधक (वित्त) – सदस्य	

6– निगम के निदेशक मंडल की दिनांक–08.08.2016 को सम्पन्न 23वीं बैठक के एजेंडा सं0–9/23 द्वारा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा–74 में उक्त संशोधन हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

7– उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–17.04.2018 को मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

8– उक्त संशोधन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0– 466(12), दिनांक–18.05.2010 एवं निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा–74 इस हद् तक संशोधित मानी जाएगी।

9– तदनुसार बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामित तीन महाप्रबंधकों की व्यवस्था की प्रतिस्थापना, दो मुख्य महाप्रबंधकों, यथा– मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एवं मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्त्ति श्रृंखला) से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु उपर्युक्त संकल्प की पाँच सौ प्रतियाँ बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय तथा विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार)

प्रधान सचिव

121

क्रमशः

ज्ञापांकः– 12/प0क0–09–28/2016– /स्वा0, पटना, दिनांक– / /2018

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 12/प0क0–09–28/2016– 445(12)/स्वा0, पटना, दिनांक– 15/05/2018

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/वित्त आयुक्त, बिहार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/5/2018
प्रधान सचिव

122